संक्षिप्त परिचय :–

कार्यालय मत्स्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर इलाहाबाद रोड पर शास्त्रीनगर में पुलिस चौकी के पास स्थित है, इसके द्वारा जनपद में मत्स्य पालन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, सुलतानपुर।

स्टाफ पोजीशन

क्र0सं0	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	–	**1**
2.	मत्स्य प्रसार अधिकारी	1	–	**1**
3.	तालाब उत्पादन विशेषज्ञ	1	**1**	–
4.	अवर अभियन्ता	1	**1**	–
5.	मत्स्य निरीक्षक	1	**2**	–
6.	मत्स्य विकास अधिकारी/मत्स्य प्रसार	6	**6**	–

	सहायक			
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	**1**	—
8.	कनिष्ठ लिपिक	1	—	**1**
9.	चपरासी	1	**1**	—
10.	चौकीदार	1	**1**	—
11.	मछुआ	8	**4**	**4**
12.	वाहन चालक	2	—	**2**
	योग	**25**	**17**	**9**

मछली क्या है ?

- जल में रहने वाला रीढ़धारी जन्तु है।
- पंखो के सहारे चलता है।
- गलफड़ो द्वारा सांस लेता है।
- विषमतापी है।
-

मत्स्य पालन क्या है ?

- ग्रामीण अंचल में अनुपयोगी स्थिति में पड़े हुए तालाबों की उपयोगिता सुनिश्चित करना।
- उत्तम प्रोटीन युक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक।

- वेरोजगारों एवं दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आय का साधन।
- तालाब सुधार/निर्माण के लिए ऋण व अनुदान की सुविधा।
- मछली के उत्तम बीज के आपूर्ति की सुविधा ।
- वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण की सुविधा।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रमुख उद्देश्य :–

- उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य विकास हेतु उपयोग
- मत्स्य उत्पादन में बृद्धि।
- रोजगार सृजन।
- उत्तम प्रोटीनयुक्त पौष्टिक आहार की उपलब्धता।
- मछुआ कल्याणकारी कार्यक्रमो का संचालन।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुलतानपुर द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

- मत्स्य पालक के पास यदि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल का पट्टे का या निजी पुराना तालाब है अथवा वह अपनी निजी भूमि पर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल का नया तालाब निर्मित कराना चाहता है और मछली पालन करना चाहता तो मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के द्वारा निम्न सुविधाएं सुलभ कराये जाने की व्यवस्था है। सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मत्स्य पालकों को चाहिए कि वे जनपद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण से सम्पर्क करें।

➢ गांव सभा तालाबों का पट्टा

गांव सभा तालाबों का मत्स्यपालन हेतु दस वर्षी पट्टा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। पट्टा दिलाने में मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहयोग करता है।

पात्रता

2 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक तालाब सम्बन्धित गांव सभा क्षेत्र क मछुआ समुदाय तथा 2 हेक्टेयर से बड़े तालाब गांव सभा क्षेत्र की पंजीयन मछुआ सहकारी समिति को वरीयता आधार पर दिये जाने का प्राविधान है। अन्य को भी निर्धारित वरीयता दी जाती है।

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अथवा तहसील के उप जिलाधिकारी।

➢ तालाब सुधार

पुराने तालाब के सुधार के लिए रू0 60,000/– की सीमा तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का छोड़कर सभी मत्स्य पालको के लिए 20ः अर्थात रू0 12,000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मत्स्य पालकों के लिए 25ः अर्थात रू0 15,000/– तक शासकीय अनुदान दिया जाता है।

पात्रता

मत्स्य पालक के पास पट्टे का अथवा निजी तालाब होना चाहिए

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

➢ नये तालाब का निर्माण

निजी भूमि पर नये तालाब के निर्माण हेतु जिसमें उपयुक्त जाली सहित इनलेट व आउटलेट तथा शैलो ट्यूबवेल आदि व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, रू0 2,00,000/–प्रति हे0 तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर समान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 20ः अर्थात रू0 40,000/– एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए 25ः अर्थात रू0 50,000/– की सीमा तक शासकीय अनुदान सुलभ कराया जाता है।

पात्रता

निजी भूमि पर तालाब निर्माण हेतु इच्छुक व्यक्ति इस योजना से लाभ प्राप्त करें।

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण।

➢ उत्पादन निवेशों हेतु सुविधा

तालाब सुधार अथवा निर्माण के बाद मत्स्य पालन प्रारम्भ करने के लिए उर्वरक, मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि आवश्यक हैं। निर्धारित मात्रा में उर्वरकों (गोबर की खाद तथा एन0पी0के0 खाद)के प्रयोग से तालाब में उपयुक्त जलीय वातावरण एवं प्लांक्टान जो कि मछली का प्राकृतिक भोजन है उत्पन्न होता है। तालाब से अधिक मत्स्य उत्पादन हेतु एक ही वातावरण में रहकर एक दूसरे को क्षति न पहुंचाते हुए तेजी से बढ़ने वाली कार्प मछलियों (कतला, रोहू, नैन, सिलवर कार्प, ग्राफ कार्प व कामन कार्प) के संचित बीज की बढ़ोत्तरी के लिए पूरक आहार की व्यवस्था आवश्यक है। मत्स्य पालन प्रारम्भ करने के लिए पहले वर्ष में उत्पादन निवेशों के लिए रू0 30,000/– प्रति हेक्टेयर तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 20 प्रतिशत अर्थात रू0 6,000/– व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए 25 प्रतिशत अर्थात रू0 7,500/– तक अनुदान किया जाता है।

पात्रता	**सम्पर्क व्यक्ति**
मत्स्य पालक जिसके पास निजी तालाब हो अथवा पट्टाधारक	जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

➢ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग

मछली के साथ–साथ बतख, शूकर आदि के पालन (इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग) से आय में और बृद्धि सम्भव हो सकती है। इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिग से सम्बन्धित रू0 80,000/– प्रति हे0 परियोजना लागत पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को 20 प्रतिशत अर्थात् रू0 16,000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत अर्थात् रू0 20,000/– अनुदान सुलभ कराया जाता है।

पात्रता	**सम्पर्क व्यक्ति**
मत्स्य पालक जिसके पास निजी तालाब हो अथवा पट्टाधारक	जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

➢ प्रशिक्षण

मछली पालन करने के लिए मत्स्य पालकों को तकनीक की जानकारी परम आवश्यक है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा मत्स्य पालकों को 10 दिनं का अल्प अवधि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रू0 100/– प्रति दिन की दर से प्रशिक्षण भत्ता तथा रू0 100/– एक मुश्त भ्रमण व्यय दिये जाने की व्यवस्था है।

पात्रता

मत्स्य पालक जिसके पास निजी तालाब हो अथवा पट्टाधारक

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

➢ मत्स्य बीज की आपूर्ति

उत्तम मत्स्य प्रजातियों का शुद्ध बीज, मत्स्य पालन की आधारभूत आवश्यक है। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा मत्स्य विभाग के प्रक्षेपों पर उत्पादित बीज की आपूर्ति मत्स्य पालकों को आक्सीजन पैकिंग में तालाब तक सरकारी दरों पर की जाती है। मत्स्य पालक निजी क्षेत्र में स्थापित मिनी हैचरियों से भी शुद्ध मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

पात्रता

मत्स्य पालक प्रतयेक वर्ष जुलाई, अगस्त, सितम्बर में बीज प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य बीज हेतु मत्स्य विभाग जनपदीय कार्यालय में धनराशि माह जून में जमा कर अग्रिम बुकिंग कराना अच्छा रहता है।

सम्पर्क व्यक्ति

1. जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण।
2. जनपद के मत्स्य प्रक्षेत्र प्रभारी
3. उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के हैचरी प्रभारी पता– अमेठी मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र भोजपुर, पो0 पीपरपुर, सुलतानपुर।

➢ मिट्टी–पानी की जांच

मछली की अधिक पैदावार के लिए तालाब की मिट्टी व पानी का उपयुक्त होना परम आवश्यक है। मंडल स्तर पर मत्स्य विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा मत्स्य पालकों के तालाबों की मिट्टी–पानी की निःशुल्क जांच की जाती है। तथा वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन करने के लिए तकनीकी सलाह दी जाती है।

पात्रता

इच्छुक मत्स्य पालक

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण

➢ मिनी हैचरी

निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना हेतु रू0 8.00 लाख तक का बैंक ऋण तथा रू0 80 हजार तक अनुदान दिया जाता है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक भी उपलब्ध करायी जाती है।

पात्रता

निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों के पास लगभग 1.5 हेक्टेयर निजी भूमि होनी चाहिए।

सम्पर्क व्यक्ति

जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील प्रभारी (मत्स्य)

➢ मत्स्य पालन की प्रति हेक्टेयर वार्षिक आय–व्यय विवरण

धनराशि रू0

क– मत्स्य पालन पर वार्षिक व्यय

1.	तालाब का किराया या पट्टे का लगान	1000
2.	पानी व्यवस्था	5000
3.	जलीय पौधों व अवांछनीय मछलियों की सफाई	1500
4.	चूने का प्रयोग (250 कि0ग्रा0)	1000
5.	गोबर की खाद (10 टन)	2000
6.	मत्स्य बीज व यातायात पर व्यय	1200
7.	एन0पी0के0 खाद का प्रयोग (200 कि0ग्रा0)	2000
8.	पूरक आहार पर व्यय (10 कुन्टल सरसों की खली 10 कुन्टल चावल का कना)	12000
9.	मछलियों की देखभाल	3000
10.	अन्य विविध व्यय	1300
योग :		30000

ख– मत्स्य उत्पादन व प्रत्याशित आय

1. 2700 कि0ग्रा0 मत्स्य उत्पादन के रू0 40/– कि0ग्रा0 की दर से विक्रयस्वरूप वार्ष्णिक आय (प्रदेश में तालाबों की औसत मत्स्य उत्पादकता 2550 कि0ग्रा/हे0/वर्ष है परन्तु कई स्थानो पर मत्स्य पालकों द्वारा 4000 किग्रा0/हे0/वर्ष से भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। वैज्ञानिक 108000

विधि से मत्स्य पालन के फलस्वरूप 2700 किग्रा0/हे0/वर्ष उत्पादन सुगमता से संभव है।)

2. शुद्ध लाभ : वार्षिक आय–व्यय

78000

ग–

1. बैंक ऋण किश्त की अदायगी पर व्यय 26000
2. मत्स्य पालक के जीविकोपार्जन हेतु उपलब्ध शुद्ध धनराशि 52000

इस प्रकार एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के पुराने तालाब में सुधारोपरान्त आवश्यक व्यवस्थायें अपनाते हुए मछली पालन करने से खर्चों तथा बैंक ऋण की किश्त के भुगतान को निकाल कर एक वर्ष में रू0 52000/– की शुद्ध धनराशि (मासिक रू0 4333/–) प्राप्त किया जाना संभव है जो कि जीविकोपार्जन में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। मछली पालन निश्चित ही रोजी –रोटी का सरल साधन है। इसमें लागत कम और आय अधिक है।

मत्स्य पालक कब क्या करें?

प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई, जून)

- उपयुक्त तालाब का चुनाव
- नये तालाब के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन
- मिट्टी–पानी की जांच
- तालाब सुधार/निर्माण हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार/निर्माण कार्य की पूर्णता।
- अवांछनीय जलीय वनस्पतियों की सफाई
- एक मीटर पानी की गहराई वाले एक हे0 के तालाब में 25 कुंटल महुआ की खली के प्रयोग के द्वारा अथवा बार–बार जाल बलवाकर अवांछनीय मछलियों की निकासी।
- उर्वराशक्ति की बृद्धि हेतु 250 किग्रा0/हेक्टेयर चूना तथा सामान्यत+ 10–20 कुंटल/हे0/माह गोबर की खाद का प्रयोग।

द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त , सितम्बर)

- मत्स्य बीज संचय के पूर्व पानी की जांच (पी–एच 7.5–8.5 व घुलित आक्सीजन 5 मिली ग्राम/लीटर होनी चाहिए)
- तालाब में 25–50 मिली मीटर आकार के 10,000 मत्स्य बीज का संचय।
- पानी में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन की जांच
- गोबर की खाद के प्रयोग के 15 दिन बाद सामान्यतः 49 किग्रा0/हे0/माह की दर से एन0पी0के0 खादों (यूरिया 20 किग्रा0, सिंगिल सुपर फास्फेट 25 किग्रा0, म्यूरेट आफ पोटाश 4 किग्रा0) का प्रयोग।

- एन0पी0के0 खादों के प्रयोग के 15 दिन बाद 10–20 कुंटल/हे0/माह गोबर की खाद का प्रयोग।
- मत्स्य आंगुलिकाओं के भार का 1–2 प्रतिशत की दर से प्रतिदिन पूरक आहार का प्रयोग

तृतीय त्रैमास (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर)

- मछलियों के बृद्धि दर की जांच।
- **मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु सीफेक्स का प्रयोग अथवा रोग ग्रस्त मछलियों को पोटेशियम परमैगनेट या नमक के घोल में डालकर पुनः तालाब में छोड़ना।**
- **पानी में प्राकृतिक भोजन की जांच।**
- **पूरक आहार दिया जाना।**
- **ग्रास कार्प मछली के लिए जलीय वनस्पतियों (लेमना, हाइड्रिला, नाजाज, सिरेटोफाइलस आदि) खिलाना।**
- **उर्वरकों का प्रयोग।**

तृतीय त्रैमास (जनवरी, फरवरी, मार्च)

- बड़ी मछलियों की निकासी एवं विक्रय।
- बैंक की ऋण किश्त अदायगी।
- एक हे0 के तालाब में कामन कार्प मछली के लगभग 1500 बीज का संचय।
- पूरक आहार दिया जाना।
- उर्वरकों का प्रयोग।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा संचालित अन्य योजना–

मत्स्य पालक विकास अभिकरण अपनी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन करते हुए मत्स्य विभाग उ0प्र0 के दिशा निर्देशन पर निम्नांकित योजनाएं जनपद एवं

विकास खण्ड स्तर पर संचालित करने में लगी हुई है जिसमें प्रबन्ध कमेटी के जिलाधिकारियों से पालन में अपेक्षित सहायेग की आवश्यकता है।

1. जनपद को वर्तमान में दो नयी योजनाएं प्रदत्त करायी गयी हैं– प्रथम मत्स्य कृषकों के तालाबों के मिट्टी/पानी की जांच हेतु ऐसे पांच लाभार्थियों को चयनित करने के दिशा निर्देश सहित बजट रू0 29250 की धनराशि आवंटित कर रखी है। ऐसे वेरोजगार युवक का चयन यिका जाना है जो इण्टरमीडिएट बायोलाजी से उत्तीर्ण हों उन्हे जिला समिति द्वारा चयनित कर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था दी गयी है। मृदा जल परीक्षण किट हेतु रू0 39500 की धनराशि बैंक से ऋण के रूप उपलब्ध करायी जायेगी। जिस पर रू0 11850 की धनराशि 30ः अनुदान होगी। शेष धनराशि रू0 27650.00 का ऋण होगा। यह चयनित किट धारक जनपद के मत्स्य पालकों के तालाब के जल मृदा परीक्षण सूचना पर करेंगें एवं निर्धारित शुल्क मत्स्य कृषक से प्राप्त कर रोजी रोटी से जुड़ते हुए रोजगार प्राप्त करेंगें।
2. द्वितीय योजना यह संचालित की गयी है कि मोबाइल फिश फार्मर योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु की कार्ययोजना बनायी गयी है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद चयनित हुआ है। जिसके संचालन हेतु रू0 5.50 लाख का ऋण बैंक से दिलाते हुए रू0 1.65 लाख की अनुदान धनराशि की व्यवस्था है। न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट शिक्षित 21 से 35 वर्ष के वेरोजगार जनपदीय शहरी युवक

को पात्रता में वरीयता दी गयी है। विस्तृत विवरण समाचारों के माध्यम से अथवा मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है।

3. मत्स्य पालक विकास अभिकरण मत्स्य विभाग की मछुआ आवास योजना का भी कार्य संचालन का दायित्व है। मछुआ आवास निर्बल वर्ग मछुआ समुदाय के ऐसे व्यक्तियों का चयन पर निर्भर है जो घास फूस के भवनो मे रहते हैं एंव गरीबे रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं इनका चयन सर्वप्रथम मछुआ वाहुल्य गावों का मण्डल स्तर पर उपनिदेशक मत्स्य फैजाबाद की अध्यक्षता में जनपद के अधिकारी एवं अन्य जनपद के नामित अधिकारी सदस्यों के सहमति पर किया जाता है। ग्रामों के चयन हो जाने के पश्चात ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्तियों का चयन खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के समक्ष किया जाता है। चयन के पश्चात पात्र व्यक्तियों को मछुआ आवास हेंतु दो किश्तों में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इसी के साथ इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प चयनित स्थान पर जल निगम/एग्रो विभागों द्वारा मानक स्टीमेट के आधार पर लगाये जातें हैं। संज्ञान में लाना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अभी तक मात्र दस मछुआ आवास का आवंटन दिनांक 08.11.2007 को प्राप्त हुआ है।

4. विभाग से जुड़ी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर को चयनित किया गया है। जिसमें मत्स्य

पालक विकास अभिकरण की भांति मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं ऋण की व्यवस्था सहित अनुदान सुलभ कराया गया है। यह योजना भारत सरकार के गठित ब्यूरो द्वारा संचालित होगी। इस योजना में ऋण एवं तकनीकी परामर्श गुणवत्ता प्रदत्त है। यह योजना निकट भविष्य में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का स्थान प्राप्त करेगी। इस योजना में मत्स्य पालकों को इस वर्ष 30 व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्यवाही की प्रक्रिया में ली गयी है।

5. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अर्न्तगत छोटी सचल मत्स्य विपणन इकाइयों की स्थापना का माडल परियोजना 10 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए 5 हेक्टेअर का प्रस्ताव बनाया गया है। जिसके द्वारा दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार/अच्छी गुणवत्ता की मछली उपलब्धता सहित दूर दराज गांवों तक मछली सुलभ कराना है। चयनित व्यक्ति रू0 5600 की लागत पर मछली का विक्रय करके 25 प्रतिशत लाभ प्राप्त कर रोजी रोटी से जुड़ जायेगा। प्रबन्ध समिति के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध है कि इस योजना के लाभ हेतु लाभार्थियों को प्रेरित करने पर विचार किया जावें।

जनपद स्तर की विभिन्न योजनाओं में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सहभागिता

अ– आदर्श जलाशय योजना

6. भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की समन्वित सहयोग से इंगित (अ) से (र) तक की योजनाएं संचालित हैं। जिसमे विभिन्न विभागों की कार्यदायी संस्थाएं लगी हुई हैं। इन योजनाओं में मत्स्य पालन की अहम भूमिका के मद्देनजर तकनीकी परामर्श हेतु अभिकरण को जिला स्तर पर

ब– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

स– नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना)

द– भूमि सेना योजना अन्तर्गत तालाबों का जार्णोद्धार

य– वर्षा जल संचालन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज योजना

र– अम्बेदकर ग्राम तालाब सुधार योजना

ल– आत्मा (Support to state Extension Programme for Extension Reform programme)

लगाया गया है, ताकि तालाबों का निर्माण योजना के स्वरूप को साकार करते हुए मत्स्य पालन से ऐच्छिक रूप से जोड़ा जा सके। अभिकरण का प्रयास यह है कि इन योजनाओं से जो भी तालाब निर्माण कार्य विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे हैं, निर्माण पश्चात राजस्व विभाग से पट्टे हेा जाने के पश्चात मत्स्य पालन योजना से सम्बद्ध कर व्यक्तियों को रोजी–रोटी से जोड़ते हुए बेरोजगारी दूर करने में अहम भूमिका परिलक्षित कराया जाना है।